



**THE**  
**JHARKHAND GAZETTE**  
**EXTRAORDINARY**  
**PUBLISHED BY AUTHORITY**

---

**No. 363**

**6 Baishakh, 1941(S)**

**Ranchi, Friday, 26<sup>th</sup> April, 2019**

---

**COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT**

-----  
**Notification**

**25<sup>th</sup> April, 2019**

**File No- Va0 Kar/GST/16/2017-**

**Removal of Difficulty**

**Order No. 03/2019-State Tax**

**S.O. No. 42 Dated 26<sup>th</sup> April, 2019** -- Whereas, clause (c) of sub-section (3) of section 31 the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereinafter referred to as the said Act) provides that a registered person supplying exempted goods or services or both or paying tax under the provisions of section 10 shall issue, instead of a tax invoice, a bill of supply, and therefore any person not covered by the said clause has to issue a tax invoice;

Now, Therefore, in exercise of the powers conferred by section 172 of the said Act, the State Government, on recommendations of the Council, hereby makes the following Order, to remove the difficulties, namely: —

1. Short title. —This Order may be called the Jharkhand Goods and Services Tax (Third Removal of Difficulties) Order, 2019.
2. For the removal of difficulties, it is hereby clarified that provisions of clause (c) of sub-section (3) of section 31 of the said Act shall apply to a person paying tax under notification No 2/2019 published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary, vide S.O. No 36, dated the 26.04.2019.

**Prashant Kumar,**  
Secretary-cum-Commissioner

-----

## वाणिज्य-कर विभाग

-----

अधिसूचना

25 अप्रैल, 2019

संचिका संख्या-वा०कर/GST/16/2017-

**कठिनाई निवारण**

**आदेश सं. 03/2019- राज्य कर**

एस. ओ. सं. 42 दिनांक 26 अप्रैल, 2019-- जहां कि झारखण्ड माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की धारा 31 की उप धारा (3) के तहत यह प्रावधान किया गया है कि ऐसा कोई पंजीकृत व्यक्ति जो कि छूट प्राप्त माल या सेवा या दोनों की आपूर्ति करता हो या धारा 10 के प्रावधानों के अंतर्गत कर का भुगतान करता हो, टैक्स इनवायस के बदले आपूर्ति बिल जारी करेगा और इसलिए ऐसा व्यक्ति जो कि उक्त उपवाक्य के दायरे में नहीं आता है को, टैक्स इनवायस जारी करना होगा;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 172 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, कठिनाइयों के निवारण के लिए निम्नलिखित आदेश जारी करती है, यथा:-

3. संक्षिप्त शीर्षक – इस आदेश को माल और सेवाकर (कठिनाइयों का तृतीय निवारण) आदेश, 2019 कहा जाएगा ।
4. कठिनाइयों के निवारण के लिए, एतद्वारा, स्पष्ट किया जाता है कि उक्त अधिनियम की धारा 31 की उप धारा (3) के उपवाक्य (ग) के प्रावधान उसी व्यक्ति पर लागू होंगे जो कि अधिसूचना संख्या 2/2019, जिसे एस. ओ. सं 36 दिनांक 26.04.2019 के तहत झारखण्ड के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था, के अंतर्गत कर का भुगतान कर रहा हो ।

**प्रशांत कुमार,**  
सचिव-सह-आयुक्त ।

-----